न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 68/2016 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2019/00185**

1. हीरालाल
2. मेघराज

} पुत्रगण लिछमणराम जाति ब्राह्मण, निवासी दियातरा तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. हड़मानराम पुत्र सोमाराम जाति ब्राह्मण, निवासी दियातरा, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर, मु. कोलायत, जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

3. डाली पुत्री लिछमणराम
4. नारायणी पुत्री लिछमणराम
5. रामादेवी बेवा लिछमणराम

} जाति ब्राह्मण, निवासी दियातरा, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।

गौण रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री हरिराम बिश्नोई — अभिभाषक अपीलांट
श्री एस.एन तिवाड़ी एवं विनोद कुमार पुरोहित — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
श्री दिनेश गहलोत — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स सं. 3 ता 5

निर्णय

दिनांक 23.09.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 14.03.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि ग्राम दियातरा के खसरा नंबर 179 तादादी 55.03 बीघा, खसरा नंबर 340/189 की 53 बीघा व खसरा नंबर 178/1 में 12 बीघा 15 बिस्वा कुल 121 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि अपीलांट के पिता लिछमणराम की स्वअर्जित भूमि थी। अपीलांट के पिता लिछमणराम ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में खसरा नंबर 179 की 55.03 बीघा भूमि की एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 20.12.2001 को निष्पादित करवा दी। तत्पश्चात अपीलांट्स के पिता ने खसरा नंबर 179 तादादी 55.03 बीघा, खसरा नंबर 340/189 की 53 बीघा व खसरा नंबर 178/1 में 12 बीघा 15 बिस्वा कुल 121 बीघा 18 बिस्वा भूमि अपीलांट्स के नाम बहिस्सा बराबर दिनांक 28.04.2014 को रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित करवा दी थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वसीयत दिनांक 20.12.2001 के आधार पर अपीलांट्स के पिता की मृत्यु दिनांक 20.06.2014 हो जाने के पश्चात नामांतरकरण दर्ज करने का आवेदन–पत्र तहसीलदार कोलायत के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार कोलायत ने उक्त प्रार्थना–पत्र पर वसीयत के आधार पर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 25.07.2014 जारी किया। अपीलांट्स ने तहसीलदार कोलायत के आदेश दिनांक 25.07.2014 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर ने अपील यह कहते हुए निरस्त कर दी कि वसीयतों के वैधता के संबंध में माननीय सिविल न्यायालय की अधिकारिता होने व पक्षकारों के मध्य हकों का विनिश्चय नियमित राजस्व वाद के माध्यम से सम्भव होने के कारण अपील संधारण योग्य नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 14.03.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर में अपील प्रस्तुत की। राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.08.2019 द्वारा ग्राम दियातरा को उपनिवेशन से राजस्व क्षेत्र में सम्मलित किये जाने एवं क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण पत्रावली इस न्यायालय में हस्तांतरित होकर पेशी में ली गई।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं लिखित बहस में कथन किया है कि अपीलांट्स के पिता लक्ष्मणराम व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हड़मानराम सगे भाई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने लक्ष्मणराम से खसरा नंबर 179 की 55.03 बीघा भूमि की वसीयत दिनांक 20.12.2001 को चालबाजी करके प्रशासन गांवों के संग अभियान में अपने पक्ष में निष्पादित करवा ली। जब लक्ष्मणराम को इस बात का बता चला तो उसने अपनी समस्त कृषि भूमि की एक वसीयत अपने दोनों पुत्र अपीलांट्स के नाम दिनांक 28.04.2014 को निष्पादित कर दी। उक्त वसीयत के पैरा संख्या 3 में यहा स्पष्ट रूप से वर्णित किया कि "यह मेरी प्रथम व आखिरी वसीयत है, इस वसीयतनामा के अलावा मैनें अन्य कोई वसीयत नहीं की है, अगर होगी तो झूठी व बेअसर मानी जावेगी। इस वसीयतनामा का अमल दरामद मेरे मरणोपरांत होगा। लिहाजा यह वसीयतनामा मैनें पूरे होश हवास के साथ बिना किसी नशे पते के पढ़, सुन व समझकर सही होना मानकर अपने पुत्रों के हक में निष्पादित कर दी है।" इस प्रकार इससे पूर्व की वसीयत निरस्त हो चुकी थी व दिनांक 28.04.2014 की वसीयत अन्तिम रही। अपीलांट्स के पिता लक्ष्मणराम की मृत्यु दिनांक 20.06.2014 को हो गई। लक्ष्मणराम की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वसीयत दिनांक 20.12.2001 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने का प्रार्थना–पत्र बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के तहसीलदार कोलायत के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.04.2014 के पीछे सीगेदार द्वारा रिपोर्ट की गई कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा वसीयतमाना, मृत्यु प्रमाण पत्र व जमाबंदी की प्रति पेश की, जबकि मृत्यु प्रमाण–पत्र 22.07.2014 को जारी किया गया था। सीगेदार ने बिल्कुल गलत रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार कोलायत ने वसीयतनामा दिनांक 20.12.2001 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम दियातरा के खसरा नंबर 179 तादादी 55.03 बीघा का राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नामांतरण दर्ज करने का आदेश पटवार हल्का दियातरा को जारी कर दिया।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कहां था कि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 96 सीपीसी के अंतर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, जिस पर अभिभाषक अपीलांट का कहना है कि उक्त भूमि अपीलांट्स के पिता की रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अपीलांट नामांतरण दर्ज करवाने के हकदार है, इसलिए

अपीलाधीन आदेश से सीधे प्रभावित हैं। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कहां था कि एक से अधिक वसीयत होने की स्थिति में वसीयत की वैधता के संबंध में राजस्व न्यायालय निर्णय करने में सक्षम है? इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट का कहना हैं कि अपीलांट ने अपने अपील मीमों में वसीयत की वैधता जांचने की कोई मांग नही की गई थी, जिसमें सिर्फ यह कहां गया था कि अन्तिम वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज होना चाहिए। अपीलांट के पक्ष में की गई अपील ही अंतिम वसीयत है। वसीयतकर्ता द्वारा पहले निष्पादित वसीयत को रद्द करके ही नई वसीयत निष्पादित कर सकता है और अन्तिम वसीयत की प्रभावशील होती है।

न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2008 पेज संख्या 197 के आधार पर अपीलार्थी के मुकाबले प्रत्यर्थी के पक्ष में लिखा गया वसीयतनामा मान्य किया जाता है जो बाद का है। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2007 पेज संख्या 375 में यह प्रतिपादित किया गया है कि वसीयत के आधार पर नामान्तरण खोलने से पहले मूल खातेदार के वारिसों को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2008 पेज संख्या 383 के अनुसार नामांतरकरण की कार्यवाही इस आधार पर स्थगित नहीं रखी जा सकती कि पक्षकरों के बीच वाद चल रहा है। नामान्तरकरण निर्णित करना चाहिए। न्यायालय को अन्तिम वसीयत के अनुसार तहसीलदार राजस्व को कार्यवाही के लिए प्रकरण रिमाण्ड करें और न्यायालय यह मानकर चल रहा है कि सिविल न्यायालय में वसीयत को चैलेन्ज किया गया है व सिविल न्यायालय के निर्णय तक कोई निर्णय नहीं करना है तो इस संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टांत राजस्व मण्डल राज. द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं– आर.आर.डी 2006 पेज 128, आर.आर.डी 1995 पेज नंबर 120, आर.आर.डी 1998 पेज नंबर 370 एवं आर.आर.डी 1995 पेज नंबर 120।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.03.2018 तक खसरा नंबर 179 तादादी 55.03 बीघा का किसी भी सिविल या राजस्व न्यायालय में वाद जैरकार नहीं था व शातिर अन्दाज से निगरानी संख्या 7629/2016 में उक्त खसरे का बेईमानी पूर्वक उल्लेख कर दिया, फिर रेस्पोडेन्ट द्वारा निगरानी में उल्लेख करने का कोई मतलब नहीं था, मात्र न्यायालय की आंखों में धूल झौकने व यह दिखाने के लिए की राजस्व मण्डल में उक्त खसरा की निगरानी जैरकार है जबकि मूल खाता विभाजन का वाद स्वयं रेस्पोडेन्ट द्वारा ही खसरा नंबर 178/1 का पेश किया गया व निगरानी भी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

अतः अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.03.2018 को निरस्त किया जावे व रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज नामांतरकरण का निरस्त किया जाकर नामांतरकरण मृत्तक लक्ष्मणराम के नाम दर्ज किया जावें।

संभागीय आयुक्त बीकानेर

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एक ही परिवार के है। विवादित कृषि भूमि ग्राम दियातरा तहसील कोलायत के खसरा नंबर 179 तादादी 55 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 340/189 तादादी 53 बीघा व खसरा नंबर 178/1 तादादी 41 बीघा 5 बिस्वा भूमि पक्षकारों की पारिवारिक संपत्ति है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हनुमानराम, औकारमल, लिछमणराम पुत्रगण सोमाराम के नाम ग्राम खेतोलाई बुर्ज के खसरा नंबर 79 तदादी

114 बीघा 19 बिस्वा खातेदारी दर्ज थी। हनुमानराम जब नाबालिंग था तब उक्त कृषि भूमि दोनो भाईयों ने विक्रय कर दी। उक्त विक्रय के बदले में बड़े भाई लिछमणराम द्वारा खसरा नंबर 179 तादादी 55 बीघा 3 बिस्वा का खेत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कब्जा दे दिया, जब से लगातार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का शान्ति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में लिछमणराम का नाम होने से उन्होने हनुमानराम के पक्ष वसीयत पंजीबंध करवा दी थी। लिछमणराम स्वयं द्वारा दिनांक 20.12.2001 को वसीयत किये जाने हेतु स्टाम्प खरीद किया था। जिस पर लिछमणराम के अंगूठा हस्ताक्षर हैं। लिछमणराम द्वारा स्वयं ने मुतनाजा भूमि की वसीयत की थी जो विधि सम्मत थी, इसके आधार पर अदालत मातहत द्वारा पत्रावली खोली गई तथा सम्पूर्ण विधि अनुरूप कार्यवाही कर आदेश जैर अपील पारित किया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में यह तथ्य अंकित किया गया है कि लिछमणराम द्वारा अपीलांट संख्या 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 28.04.2014 वसीयत बहिस्सा बराबर कर दी थी, जबकि सही तथ्य तो यह है कि जिस तथाकथित वसीयत के पंजीबंद्ध होने का हवाला दिया गया है, उन दिनों में लिछमणराम बहुत ज्यादा बीमार थे तथा उनके सोचने समझने की शक्ति भी नही थी, इस गंभीर बीमारी का फायदा उठाकर अपीलांट संख्या 1 व 2 ने विधि विरूद्ध तथाकथित वसीयत का निष्पादन करवाया गया। इसके अलावा कौन–सी कृषि भूमि अपीलांट संख्या 1 ता 2 को वसीयत की हैं कही भी अंकित नहीं किया गया। इन सभी तथ्यों से साबित है कि अपीलांट संख्या 1 व 2 के पक्ष में तथाकथित वसीयत का निष्पादन विधि सम्मत् व लिछमणराम की स्वतंत्र सहमति से नही हुवा था।

विवादित कृषि भूमि खसरा नंबर 179 तादादी 55.03 बीघा भूमि पर अपीलांट का कभी कब्जा नही रहा ना ही अपीलांट का वर्तमान में कब्जा है। उपरोक्त कृषि भूमि पर करीब 40–42 वर्षो से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की शान्ति पूर्वक तरीके से काबिज काश्त है। तहसीलदार ने मौके व रिकॉर्ड की जॉच हेतु आदेश दिया था तथा मौका रिकॉर्ड दिनांक 23.05.2016 के मुताविक मुतनाजा भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 40 वर्षो से कब्जा काश्त है।

न्यायिक दृष्टिांत आर.एल.डब्ल्यू 2005(1) पेज नंबंर 70, आर.एल.डब्ल्यू 2014(2) पेज नंबंर 840 एवं आरबीजे 2001 पेज नंबर 526 अनुसार वसीयत के संबंधित विवाद का निस्तारण केवल नियमित वाद द्वारा ही संभव है। नामांतरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में उत्तराधिकार का जटिल प्रश्न, वसीयत आदि के जटिल विवादक का विनिश्चय किया जाना संभव नहीं हैं, स्वामित्व व स्वत्व की घोषणा घोषणात्मक वाद से ही की जा सकती हैं। वसीयत के आधार पर स्वामित्व स्थापित करने के लिए पक्षकारों को समक्ष न्यायालय में घोषणा हेतु वाद ही उपचार है।

न्यायिक दृष्टिांत आर.आर.टी 2006 पेज नंबंर 277, आर.आर.टी 2006–07 पेज 59 के अनुसार वसीयत सही है या गलत इसको केवल सिविल न्यायालय तय करेगा राजस्व न्यायालय नही। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष वसीयत दिनांक 20.12.2001 को की गई थी, जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा आदेश जैर अपील प्रदान किया गया है। अपीलांट्स रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटवाने के लिए तथाकथित वसीयत के आधार पर इंतकाल अपने नाम स्वीकृत करवाना चाहता है। जबकि कानून का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई वसीयत सही है या गलत इसको केवल सिविल न्यायालय ही तय कर सकता है राजस्व न्यायालय नहीं। वादगत भूमि

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

व अन्य भूमि से संबंधित विवाद वर्तमान में राजस्व मण्डल राजस्थान में विचाराधीन हैं, जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 23.12.2016 को स्टे आदेश भी प्रदान किया हुआ हैं। उक्त निगरानी के विचाराधीन रहते प्रस्तुत प्रकरण में कार्यवाही की जानी संभव नही होने से भी अपील खारिज योग्य है। अतः बिना किसी आधार के प्रस्तुत किये जाने के कारण 25000/– रूपये की कॉस्ट लगाकर खारिज करने का आदेश प्रदान करें।

4– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस मय न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2018 पारित करते हुए अपीलांट की अपील को सारहीन होने के कारण खारिज कर दिया। वादगत भूमि से संबंधित निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है। जब प्रकरण एक से अधिक वसीयतों की वैधता से संबंधित हो तो हकों का निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय से ही तय हो सकता हैं। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2018 उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2018 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5– तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 23.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/9/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर